**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1978**

**दिनांक 2 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना**

**1978. श्री इमरान मसूद:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के साढ़े छह वर्ष पूरे होने के बावजूद लगभग 25 करोड़ पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों की जांच किए बिना उक्त योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में अपात्र व्यक्तियों को सूची में शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में गरीब लोग अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए उपचार हेतु विवेकाधीन अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं क्योंकि वे उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)**

(क): 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में आकर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और योजना के लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए, लाभार्थियों को मिशन मोड में आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं।

(ख): प्रारंभ में, एबी-पीएमजेएवाई के तहत 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों की पहचान 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चुनिंदा वंचना और व्यावसायिक मानदंडों का उपयोग करके की गई थी। जनवरी 2022 में, लाभार्थी आधार को संशोधित करके 12.34 करोड़ परिवार कर दिया गया, जो भारत के निचले तबके की 40% आबादी है। इसके अलावा, एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अन्य डिजीटल डेटाबेस का उपयोग करने के लिए राज्यों को छूट प्रदान की गई थी। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के अंतर्गत सत्यापन के लिए समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले लाभार्थी परिवारों के आधार सीडेड डाटाबेस उपलब्ध कराए हैं। इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना के तहत पात्र लाभार्थी ही लाभ उठा सकते हैं।

(ग): एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कुल 1717 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के तहत 33.3 करोड़ रुपये की राशि का उपचार प्राप्त किया है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं:

| **वित्तीय वर्ष** | **लाभार्थियों की कुल संख्या** | **दावा की गई कुल राशि (रुपये में)** |
|---|---|---|
| 2021-22 | 167 | 3,67,92,628 |
| 2022-23 | 878 | 15,74,90,189 |
| 2023-24 | 672 | 13,93,55,670 |

स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के तहत, गरीब रोगियों को 1.25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि सरकारी अस्पतालों में उन जानलेवा बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती / उपचार पर आने वाले खर्च का एक हिस्सा कवर किया जा सके, जहां मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। केवल 1.25 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले लोग ही इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। एचएमडीजी के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों और लाभान्वित रोगियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है।

| **वर्ष** | **जारी की गई धनराशि** (करोड़ रुपए में) | **लाभार्थी** |
|---|---|---|
| 2021-22 | 1.16 | 98 |
| 2022-23 | 0.31 | 29 |
| 2023-24 | 0.64 | 55 |

*****